रं समाज के चहुमुखी विकास, रं संस्कृति के संरक्षण व संर्वधन इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 18 मई, 1989 को लखनऊ केन्द्र में **'रं कल्याण संस्था'** की स्थापना की गई। रं कल्याण संस्था तब से अनवरत रूप से कार्य कर रही है। रं कल्याण संस्था एक स्ववित्तपोषित संस्था है।

इसके आय के मुख्य स्रोत निम्न हैं :–

- सदस्यता शुल्क।
- संस्था के प्रकाशनों में मुद्रित विज्ञापनों से आय।
- सरकार/विभिन्न विभागों से विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्राप्त स्पॉन्सरशिप।
- **'वन परसेंट ऑफ इनकम' (OPI)**, योजना के अर्न्तगत सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि।

यह संस्था के आय का प्रमुख स्रोत है। इस अवधारणा के अंतर्गत संस्था के सदस्य प्रतिवर्ष स्वैक्षिक रूप से अपनी सकल वार्षिक आय के 1% के बराबर की धनराशि संस्था को सहयोग राशि के रूप में प्रदान करते हैं।

उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि संस्था मुख्यतया निम्न प्रयोजनों हेतु व्यय करती है :–

- रं राहत/आपदा राहत योजना के अर्न्तगत साधन विहीन आपदा पीड़ितों, गंभीर रूप से बीमार आदि लोगों को तत्कालिक आर्थिक सहायता मुहैया कराना।
- विभिन्न केन्द्रों पर स्थापित रं मं बं का रखरखाव।
- रं मं बं में संचालित किये जा रहे रोगी विश्राम गृह, छात्र/छात्राओं हेतु संचालित हॉस्टलों का संचालन।
- रं संग्रहालय/पुस्तकालय के आर्टीफेक्ट्स/पुस्तकों के क्रय तथा रख रखाव पर व्यय।
- संस्था के विभिन्न प्रकाशनों हेतु व्यय।
- संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले समारोहों यथा रंल्वो ज्या, साहित्योत्सव, युवा संवाद, स्थापना दिवस, ज्यंगमोथन इत्यादि के आयोजन पर व्यय।
- संस्था के केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय का परिचालन व्यय इत्यादि।

रं कल्याण संस्था को आयकर की धारा 12A के अर्न्तगत आयकर से छूट प्राप्त है। संस्था को प्रदान किये गये सहयोग राशि भी आयकर की धारा 80G के अर्न्तगत छूट हेतु अनुमन्य है।